संख्याःशिक्षा–कांगडा (जी–4)/2025–
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक (मा0), कांगडा स्थित धर्मशाला।

Deputy Director of
School Education (Sec)
28 SEP 2026
Dispatch No. 8555-56
Kangra at Dharamshala

प्रेषितः

1. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उच्च विद्यालय तथा,

2. समस्त निजी विद्यालय,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यार्थियों के स्कूल बैग के भार की सीमा सुनिश्चित करने बारे।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निदेशक, स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 के पत्र संख्या **EVN-SE-10(5)(1)-32/2026-शिकायत** दिनांक सितम्बर, 2026, जो कि **Case No. 7/90/0/2026** से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि जिला में संचालित समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में लाए जाने वाले **स्कूल बैग के भार को संबंधित विद्यार्थी के शरीर के भार के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर** रखना सुनिश्चित किया जाए तथा इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

अतः जिला कांगड़ा के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/विद्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के स्कूल बैग के भार की जांच/निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विद्यार्थी के स्कूल बैग का भार उसके शरीर के भार के **10 प्रतिशत से अधिक न हो।**

निरीक्षण के दौरान यदि किसी विद्यार्थी का स्कूल बैग निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो विद्यालय स्तर पर आवश्यक **सुधारात्मक कार्रवाई** करते हुए अनावश्यक पुस्तकें, नोटबुक अथवा अन्य सामग्री विद्यालय लाने से संबंधित उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (मा0),
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

Scanned with OKEN Scanner